

27.2.25 पशुवली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी
पक्ष को सुना गया। मूल वाद में अप्रार्थित
की तलबी कुरवाई जाकर एक पक्षीय
कार्यवाही हो चुकी है अप्रार्थी 214
का जवाब बंध किया जा चुका है।
डिांक न 6.22 द्वारा जारी लगान
उपपक्षों में विवाद का वर्तन में समाप्त
होगा। मूल वाद में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त
हो चुका है इस अतिरिक्त निर्णय तक
जारी लगान आदेश को Contempr कर
पशुवली दायित्व बंध की जाती है।

सदस्यक कलक्टर
उपपक्ष अधिकारी
समान्यक